संख्या-21/2016/58/22-4-16-102(ब)13टीसी

प्रेषक,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 09 मार्च, 2016

विषय- प्रदेश की कारागारों की सुरक्षा एवं तलाशी व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु प्रथम चरण में प्रदेश के 20 कारागारों में " एफजी-1 पोल मेटल डिटेक्शन सिस्टम" स्थापित किये जाने हेतु अग्रिम धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-567/आधु-1/सि0पो0/2014, दिनांक 06 जनवरी, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की 20 कारागारों में " एफजी-1 पोल मेटल डिटेक्शन सिस्टम" स्थापित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-201/2015/1255/22-4-15-102(ब)13टी0सी0-1, दिनांक 16 नवम्बर, 2015 द्वारा रू0 2,65,64,000/-(रूपया दो करोड़ पैंसठ लाख चौंसठ हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। ईसीआईएल द्वारा अपेक्षित धनराशि अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। अत: सम्यक् विचारोपरान्त महामहिम श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश की 20 कारागारों में " एफजी-1 पोल मेटल डिटेक्शन सिस्टम" स्थापित किये जाने हेतु उक्त धनराशि रू0 2,65,64,000/-/-(रूपया दो करोड़ पैंसठ लाख चौंसठ हजार मात्र) ईसीआईएल को अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत अग्रिम का भुगतान वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.83 तथा संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10.06.11 में निहित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) समस्त सम्बन्धित वित्तीय नियमों, प्रक्रिया और इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2016 तक कर लिया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि के अग्रिम भुगतान से यदि कोई हानि होती है, तो उसके लिए आहरण-वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग की अशासकीय संख्या-एफ0ए0-1-83/दस-2016, दिनांक 02 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

संख्या-21/2016/58(1)/22-4-16-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मेसर्स इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।